संख्या:598/2023/1296/35-4-2023/35-4002(001)/1/2022

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सम्बंधित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपदो को क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत पूँजीगत विकास कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुये विभिन्न विकास कार्यो के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का समग्र सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 40 बड़े जनपदों में रू. 1.50 करोड़ तथा 35 छोटे जनपदों में रू. 1.00 करोड़ के आधार पर धनराशि स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-217/2022/800/35-4-2022/001-35-4002(001)/1/2022 दिनांक 01 अगस्त, 2022 के साथ पठित शासनादेश संख्या-350/2022/1204/35-4-2022/001-35-4002(001)/1/2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 द्वारा 75 जनपदों को शहरी क्षेत्रो हेतु रू0 965.00 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रो हेतु रू. 3785.00 लाख अर्थात कुल मिलाकर रू. 4750.00 लाख की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये पूर्ण धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई है। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-233/2022/841/35-4-2022/35-4002(001)/1/2022 दिनांक 05 अगस्त, 2022 के क्रम में जिन 39 जनपदों द्वारा गत वर्षों में उपयोग की गयी धनराशि के सम्बंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी गई है, के लिए द्वितीय किश्त में अनुमन्य अवशेष धनराशि शासनादेश 343/2023/942/35-4-2023/35-4002(001)/1/2022 दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा शहरी क्षेत्रो हेतु रू0 485.00 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रो हेतु रू. 1990.00 लाख अर्थात कुल मिलाकर रू. 2475.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। एतदद्वारा अवशेष 36 जनपदों में से निम्नलिखित 17 जनपदों, जिनके द्वारा शासनादेश संख्या-233/2022/841/35-4-2022/35-4002(001)/1/2022 दिनांक 05 अगस्त, 2022 के क्रम में वर्ष 2011-12 से क्रिटिकल गैप्स योजनान्तर्गत उपयोग की गयी धनराशि के सम्बंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी गई है, उन जनपदों के लिए द्वितीय किश्त में अनुमन्य अवशेष धनराशि की सीमान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू. 900.00 लाख तथा शहरी क्षेत्रों हेतु रू. 225.00 लाख अर्थात कुल रू. 1125.00 लाख (रू. ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(लाख रू. में)

	जनपद का नाम	**वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि**		
		ग्रामीण क्षेत्रों हेतु (लेखाशीर्ष:4515008000500 24)	शहरी क्षेत्रों हेतु (लेखाशीर्ष:4217608000300 24)	**कुल**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	हरदोई	60.00	15.00	75.00
2	बरेली	60.00	15.00	75.00
3	बहराइच	60.00	15.00	75.00
4	कानपुर नगर	60.00	15.00	75.00
5	बाराबंकी	60.00	15.00	75.00
6	लखनऊ	60.00	15.00	75.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि		
		ग्रामीण क्षेत्रों हेतु (लेखाशीर्ष:4515008000500 24)	शहरी क्षेत्रों हेतु (लेखाशीर्ष:4217608000300 24)	कुल
1	2	3	4	5
7	गाजीपुर	60.00	15.00	75.00
8	मिर्जापुर	60.00	15.00	75.00
9	मेरठ	60.00	15.00	75.00
10	देवरिया	60.00	15.00	75.00
11	महराजगंज	60.00	15.00	75.00
12	सिद्धार्थनगर	40.00	10.00	50.00
13	बस्ती	40.00	10.00	50.00
14	अयोध्या	40.00	10.00	50.00
15	रामपुर	40.00	10.00	50.00
16	कासगंज	40.00	10.00	50.00
17	शामली	40.00	10.00	50.00
	योग	**900.00**	**225.00**	**1125.00**

1- जनपदों को क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत पूँजीगत विकास कार्यों हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2022, 29 सितम्बर, 2022 एवं 21 मार्च, 2023 की शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2- स्वीकृत धनराशि का राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आहरण कर उपयोग किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3- प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यों का चयन और कार्यान्वयन शासनादेश संख्या 1191/35-4- 2007, दिनांक 26 मार्च, 2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन किया जायेगा, और उक्त शासनादेश के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-4 को प्रेषित किया जायेगा ।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। तद्नुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक रूप से प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7- योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

8- जनपद-रामपुर एवं मिर्जापुर में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वंय सन्तुष्ट होते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये **9,00,00,000** (रूपये नौ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-040 लेखाशीर्षक-4515008000500 पूँजीगत विकास कार्यों के लिये व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रूपये **2,25,00,000** (रूपये दो करोड़ पचीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-040 लेखाशीर्षक-4217608000300 पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:598/2022/1296(1)/35-4-2022/001-35-4002(001)/1/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बंधित मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
8. सम्बंधित मण्डलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी) अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
9. सम्बंधित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।